भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज–8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 8.40 कि0मी0) हेतु 4.165 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है0 में	4.164 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.77 हे0 – आरक्षित वन तिया कक्ष–6 3.395 हे0– सिविल सोयम भूमि सेमलसारी, दारसौ, ढोल्यूका, गैर **कुल क्षेत्रफल – 4.165 हे0**
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.7
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0–2मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 76 वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्याकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षित टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भू–वैज्ञानिक का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किय गया है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 1 कि0मी0 के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नही।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	प्रस्तावित क्षेत्र में चीड, कैल, बुरास, रई तथा वन्य जीवों में गुलदार, कालाभालू, बन्दर, लंगूर, काकड आदि मौजूद है परन्तु ये संकटापन्न वन प्रजाति/वन्य जीव में नही आते है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पांरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हॉ तो तद्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति के प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या,	नही। इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग–1 कालन–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नही।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा–	

	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11,40,795.00 रू0 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु 7,24,300.00 रू0 प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैंप।	उपरोक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया–जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन ऐजेन्सी–स्वंय वन विभाग समय–उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत–क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11,40,795.00 रू0। रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 7,24,300.00 रू0 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11,40,795.00 रू0। रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 7,24,300.00 रू0 का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 91 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल 135.1275 हे0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि– (ख) वनेत्तर भूमि पर..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	 क– 270.255 है0 ख– –
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर.....	 क– 34.27 हे0 ख – 190.35 हे0
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रस्ताव मे प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.09.2017 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 18.09.2017
स्थान बडकोट

(जे0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।